



साम्प्रदायिक दंगे व जातिगत राजनीतिक गतिविधियाँ और महिलाओं की भूमिका

डॉ० विक्रम सिंह, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

डॉ० मनोज कुमार, शोधार्थी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सारांश

औननिवेशक शासन ने जातिगत पहचान को लेकर भी साम्प्रदायिक की भावना को भड़काया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम समुदाय का नारा बुलन्द हुआ। यह समुदायगत पहचान उपनिवेशवाद की देन है। प्रत्येक समुदाय अपने आप को अधिक संख्या में दिखाना चाहता था। फलतः धर्म परिवर्तन आरम्भ हो गया। राजनीतिक लाभबन्दी के लिए ऐसे परिवर्तनों को आवश्यकता के तौर पर देखा जाने लगा था।

साम्प्रदायिकता दो समुदायों को अभिजात वर्ग के बीच व्याप्त स्वार्थपरता के कारण विकसित हुयी। इन वर्गों के स्वार्थ राजनीतिक सत्ता तथा सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में निहित थे। 19वीं शताब्दी में साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति का कारण भारतीय हिन्दू तथा मुस्लिम सम्प्रदायों का आपसी विघटन तथा अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल थीं।

परिचय:

‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ‘डफरिन’ के दिमाग में आया था। ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ में शामिल होने को लेकर मुसलमानों में गहरा विवाद व्याप्त था। मुसलमान इसे हिन्दुओं की पार्टी समझते थे। सर सैयद अहमद खान का स्वर यहीं से बदल जाता है, उन्हें लगता है कि अंग्रेजों का साथ देकर वह मुसलमानों को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। कांग्रेस के उद्देश्य सर सैयद को मुस्लिम हितों के विरुद्ध लगे— ‘कांग्रेस की स्थापना से सर सैयद अहमद खान खु”ा नहीं थे। इन्होंने घोषित किया कि बहुसंख्यक द्वारा सत्ताए जाने पर तलवार उठाना अब तक उनकी (मुसलमानों को) परम्परा रही है। कांग्रेस के बदलते हुए इरादों को जानकर साम्राज्यवादी सरकार भी धीरे-धीरे उसके खिलाफ होने लगी थी। साम्राज्यवाद का साथ देकर उन्हें मुसलमानों की उन्नति का पथ प्र”ास्त करना आसान लगा..... अपने पुराने सिद्धान्तों को भूलकर उन्होंने इस बात पर जोर देना प्रारम्भ किया कि भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता। उन्होंने मुसलमानों के उच्च वर्ग को यह समझाया कि अगर अपने हितों की सुरक्षा करनी है तो सरकारी नौकरियों, विधायिकाओं, विधान परिषदों आदि में उन्हें सांप्रदायिक



आधार पर आरक्षण की मांग करनी होगी।¹

आरम्भ में अंग्रेजों के मन में मुसलमानों के लिए नफरत की भावना थी, 1857 की क्रान्ति के बाद तो वो मुसलमानों को अपना शत्रु मानते थे लेकिन 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना के बाद तो वे मुसलमानों को अपना हितैषी मानने लगे, मुसलमानों के हित में उन्हें अपना हित दिखायी देने लगा। इस सन्दर्भ में उन्हें सर सैयद से अच्छा मोहरा नहीं दिखायी दिया। साथ ही साथ उर्दू तथा नागरी भाषा के प्रयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद ने हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच एक विभाजक रेखा खींच दी। इस विभाजक रेखा को खींचने के पीछे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनेल का हाथ था। नागरी प्रस्ताव तथा भाषा नीति के कारण हिन्दू अभिजात वर्ग में विद्वेष की भावना व्याप्त हो गयी। साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति का एक कारक यह भी बना।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता का उदय 19वीं शताब्दी के अन्तिम तीन दशकों में हुआ, इसके पूर्व 1857 की क्रान्ति में मुसलमान तथा हिन्दुओं ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। साम्प्रदायिकता के आरम्भ होने का मूल कारण राजनीतिक सत्ता तथा सेना में भागीदारी थी। धर्म इसके मूल में नहीं था धर्म को मात्र हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर सैयद अहमद खां ने जिस नीति को अपनाया उसके कारण मुसलमानों का एक वर्ग कांग्रेस से दूर होता चला गया, अंग्रेजों ने इस बात को भांप लिया और साम्राज्यावादी ताकतों को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार भारत के दो प्रमुख धर्मों के बीच विभाजक रेखा खींचने में सफल हो गयी। साम्राज्यवादियों द्वारा मुस्लिम के हितों को समर्थन एवं संरक्षण प्रदान कर दिया गया सर सैयद अहमद खां के बाद भी भारत में यही स्थिति बनी रही बल्कि और भी जटिल होती चली गयी। मुस्लिम सम्प्रदाय साम्राज्यवादियों का वफादार घोषित हो गया। फलस्वरूप 1905-06 में जब बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन छिड़ा तो उस आन्दोलन में भाग लेने वाले मुसलमानों को कांग्रेसी दलाल कहा गया। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े उखड़ जाने की ज्यों-ज्यों सम्भावना बढ़ती गयी त्यों-त्यों मुस्लिम तथा हिन्दू धर्मों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। सत्ता में प्रभुत्व स्थापित करने की लालसा बढ़ती गयी।

अंग्रेजों ने फूट डालों और राज करो की जिस नीति को अपनाया था तो इस नीति में काफी हद तक सफल भी हो रहे थे। सन् 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन इसी कूटनीति का परिणाम है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का मूल कारण बताया था जबकि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक असुविधा के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से हुआ



था। स्वयं लॉर्ड कर्जन के अनुसार— “अंग्रेजी हुकूमत का प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना था, बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केन्द्र को समाप्त करना था, जहां से बंगाल व पूरे दे”ा में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था, साजि”ी रची जाती थी।”

विभाजन की खबर सुनते ही इसका जबदरस्त विरोध किया गया, इस विरोध में कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रका”ान किया गया, बैठकें की गयी, जनसभाओं का आयोजन किया गया स्वदे”ी तथा बहिष्कार आन्दोलनों का सूत्रपाल हुआ। ढाका मेमनसिंह तथा चटगांव में कई बैठकें आयोजित हुयी लेकिन 16 अक्टूबर, 1905 में विभाजन होने के साथ विभाजन प्रभावी हो गया।

बंग भंग के प”चात् मुस्लिम लीग के स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। लीग का संघर्ष कांग्रेस तथा हिन्दुओं से था। इसी के साथ ही साथ हिन्दू साम्प्रदायिकता भी अपना आकार ग्रहण करने लगी थी। बिहार तथा संयुक्त प्रांत में भाषा के विवाद को साम्प्रदायिक जामा पहनाया गया। मुस्लिमों की भांति हिन्दुओं ने भी विधायिकाओं एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। ‘पंजाब हिन्दू सभा’ की स्थापना 1909 में की गयी 1910 में इलाहाबाद के प्रमुख हिन्दुओं ने अखिल भारतीय हिन्दू सभी बनाने का नि”चय किया। 1911 में पंजाब हिन्दू महासभा ने अमृतसर में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनैतिक संस्था थी इसलिए वह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अराजनैतिक क्षेत्रों में सक्रिय नहीं थी हिन्दू समाज से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए इन संगठनों की स्थापना की गयी। पं० महामना मदन मोहन मालवीय ने इसे कांग्रेसी की सहयोगी संस्था मानी है। सुचेता महाजन लिखती हैं— “कांग्रेस के जिम्मे दो काम थे— पहला, विभिन्न वर्गों, समुदायों, समूहों और अंचलों को एक राष्ट्र के ढांचे में ले आना तथा दूसरा उस उदीयमान राष्ट्र को ब्रिटि”ा शासकों से मुक्त कराना। राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार कर कांग्रेस इस दूसरे काम में तो सफल रही, लेकिन वह राष्ट्र निर्माण का काम पूरा नहीं कर सकी— खासकर मुसलमानों को राष्ट्र के जोड़ नहीं सकी।”

इन सभी तथ्यों के बावजूद कांग्रेस संगठन की एकता निरन्तर बढ़ती जा रही थी जो ब्रिटि”ा सरकार के गले की फांस बन चुकी थी, इंग्लैण्ड स्थित भारत राज्य सचिव सरकार के गले की फांस बन चुकी थी, इंग्लैण्ड स्थित भारत राज्य सचिव से लेकर जिला प्र”ासक तक सभी पदाधिकारी इस बात पर तुले हुए थे कि यदि भारत में अंग्रेजी राज्य बनाए रखना है तो ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ की बढ़ती हुयी शक्ति को रोकने के लिए कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा आखिर उन्होंने प्रतिकार ढूंढ निकाला। एम0ओ0 कॉलेज, अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड के सुझाव पर आगा खॉ के नेतृत्व में मुसलमानों का एक ि”ाष्ट मण्डल 1 अक्टूबर, 1906 में लार्ड मिण्टो (भारतीय सचिव) से ि”ामला महल के राजकीय नाचघर में



मिला। इस विषय मण्डल ने राजनीति, सैनिक आदि में मुसलमानों की भागीदारी के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल की मांग की। मुसलमानों की इस मांग का पूर्णतः स्वागत किया गया और उन्हें आवासन दिया गया कि सरकार उनकी मांग पर प्रमुखता से विचार करेगी। इसी मांग से अधिनियम 1909 बना जिसे 'मार्ले-मिण्टो' अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें मुसलमानों को राजनीति में पृथक निर्वाचन पद्धति रूपा साम्प्रदायिक आरक्षण प्रदान किया गया। इस पर टिप्पणी करते हुए लॉर्ड मार्ले ने लिखा— "पृथक निर्वाचन मण्डल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं इसका फल भीषण होगा।"⁶

इस प्रकार अंग्रेजों के कुटिल चाल ने भारत में साम्प्रदायिकता का जहर चारों तरफ फैला दिया। 30 दिसम्बर 1906 को ढाका में बैठक आयोजित हुयी, जिसमें 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीग' नामक संगठन के स्थापना हेतु निर्णय लिया गया। इस संगठन के तीन उद्देश्य थे— 1. ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों के मन में निष्ठा को बढ़ाना। 2. मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा एवं उनका विकास करना। 3. अन्य सम्प्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। 'मुस्लिम लीग' की स्थापना ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। लीग से जुड़े मुसलमानों के हित अभिजात वर्ग तक ही सीमित थे, आम मुसलमानों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं था, इस्लामिक इतिहासकार मौलाना अबुल नौमानी ने मुस्लिम लीग की कड़ी आलोचना की। नौमानी लीग को बेकार की चीज समझते थे। नौमानी ने हिन्दुओं की तुलना शेर से की तथी लीगियों की तुलना गीदड़ से की। लीगियों ने गीदड़ की तरह अंग्रेजों से भीख मांगी वहीं हिन्दुओं ने शेर की तरह संघर्ष करके अपना अधिकार प्राप्त किया। मुहम्मद अली जिन्ना राजनीति को सदैव शिक्षित वर्ग से जोड़कर देखते थे। जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आरम्भ के दिनों में मुहम्मद अली जिन्ना उदारवादी नेता थे, 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते का श्रेय जिन्ना को ही जाता है। इस अधिवेशन में दोनों अपना अलग-अलग प्रस्ताव पारित किया, दोनों संगठनों ने एक दूसरे को सहयोग करने के लिए समझौता किया। इसी समझौते में कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मण्डल के मांग को औचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। लखनऊ के अधिवेशन में दोनों संगठनों के द्वारा किए गए समझौते का विरोध महामना मदन मोहन मालवीय ने किया था। यह समझौता अस्थायी रूप से था। गोखले जो कि मुस्लिम मांगों के समर्थक थे ने भी खुद को इनसे अलग कर लिया जब उन्हें यह पता चला कि इन्हें अपनी संख्या से अधिक का प्रतिनिधित्व पाने का लालच हो गया है आम मुस्लिम जनता का 'मुस्लिम लीग' से कोई हित न जुड़ा होने के कारण, आम मुस्लिम जनता का रुख दूसरी ओर हो गया, जब गांधी जी ने 'असहयोग आन्दोलन' छेड़ा तो मुस्लिम जनता अभिजात वर्ग से न जुड़कर गांधी जी के आन्दोलन से जुड़ गयी।



सन् 1930 के पहले तक जिन्ना अपने उदारवादी दृष्टिकोण के कारण कोई भी ऐसे कार्य के पक्ष में नहीं थे जिससे दे"ा की जनता तथा दे"ा का कुछ नुकसान हो, वह राष्ट्रवादी थे राजनीति में धर्म को वह निषेध मानते थे इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आन्दोलन का विरोध किया, लेकिन गांधी जी के खिलाफत मुद्दे को अली बन्धुओं तथा पं० मोतीलाल नेहरू का समर्थन मिला। जिन्ना की दृष्टि एक दे"ावासी की दृष्टि थी न कि किसी मुस्लिम नेता की। इतना ही नहीं जिन्ना पूर्णतः पा"चात्य सभ्यता के हिमायती थे, उन्हें सूअर का मांस खाने में भी कोई परहेज नहीं था।

खिलाफत आन्दोलन

खिलाफत आन्दोलन के माध्यम से मुस्लिम धर्मवेत्ता स्वतंत्रता संग्राम से सीधे तौर पर जुड़े, इस आन्दोलन से जुड़ने पर इन उलेमाओं को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इन आन्दोलनों को सफल बनाने में खान अब्दुल गफ्फार खान का सहयोग अविस्मरणीय है, इन्होंने सीमान्त लोगों को वहां के अंधेरे से बाहर निकाला तथा स्वभावतः लड़ाकू जाति को अहिंसक आन्दोलन के लिए प्रेरित किया।

जनता एक बार फिर से धर्म तथा सम्प्रदाय से बाहर निकल कर धर्म निरपेक्ष हो गयी तथा राष्ट्रवादी विचारधाराओं से जुड़ गयी थी, सन् 1922 फरवरी में असहयोग आन्दोलन वापस ले लिए जाने के कारण इनमें निरा"ा की लहर दौड़ गयी और हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादी चेतना फिर से जागृत हो गयी, परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे होने लगे, साम्प्रदायिक संगठन फिर से सक्रिय हो गये। 1922 के बाद दो सालों में अनेक शहरों में कई दंगे हुए। 1922 तथा 1927 के बीच सौ से भी अधिक बड़े साम्प्रदायिक दंगे हुए।

नेहरू रिपोर्ट

कांग्रेस के रिपोर्ट 'नेहरू रिपोर्ट' के रूप में सामने आए। सभी दलों की एक समिति ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया था। कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया— "अन्य बातों को अलावा 'नेहरू रिपोर्ट' में यह सिफारि"ा सी गई थी कि हिन्दुस्तान का ढांचा भाषावार प्रान्तों और प्रान्तीय स्वायत्तता के आधार पर बने महासंघ का हो, चुनाव का आधार संयुक्त मतदाता-मंडल हो तथा केन्द्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित रहें।"⁸ सिंध को बम्बई से अलग करने तथा उत्तर-प"चम सीमांत प्रान्त में संवैधानिक सुधारों की बात की गयी।

'नेहरू रिपोर्ट' को मुस्लिम सम्प्रदायवादियों द्वारा हिन्दू हितों का दस्तावेज यान लिया गया। इसके प"चात् जिन्ना ने विभिन्न समय में विभिन्न साम्प्रदायिकतावादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मांगों को मिलाकर एक 14 सूत्रीय मांग तैयार कर लिया, इसे जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग कहा जाता है।



स्वाधीन भारत में साम्प्रदायिकता

विभाजन के पश्चात् साम्प्रदायिकता की समस्या सुलझने के बदले और उलझती चली गयी। प्रमुख साम्प्रदायिकता संगठन और सक्रिय हो गये, समाज में विषमता की स्थिति व्याप्त हो गयी। हिन्दू मुस्लिम जनता एक-दूसरे के खून की प्यासी हो उठी, लम्बे समय से एक-दूसरे के साथ रहने वाले हिन्दू-मुस्लिमों ने अपने ही पड़ोसी को पहचानना छोड़कर नर संहार आरम्भ कर दिया। एक ओर जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त को अपना लिया था तो दूसरी ओर अन्तिम दिनों में कांग्रेस का एक वर्ग भी भारत विभाजन को स्वीकार कर रहा था। मौलाना आजाद ने कहा- “कांग्रेसियों में विभाजन के सबसे बड़े समर्थक सरदार पटेल थे। यद्यपि वे विभाजन को उत्तम समाधान नहीं मानते लेकिन वित्तमंत्री लियाकत अली खान के हर कदम पर नकारात्मक रवैये से निराशा होकर दुःखी मन से विभाजन का समर्थन किया। लियाकत अली खान सरदार पटेल के हर सुझाव पर नकारात्मक रवैया दर्शाते थे, इससे सरदार पटेल तंग आ गए और गुस्से में निर्णय किया कि यदि और कोई विकल्प ही नहीं है तो विभाजन को स्वीकार करो। वे इस बात से सहमत थे कि नए राज्य पाकिस्तान का कोई औचित्य नहीं है, यह टिकाऊ नहीं होगा। उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान की सहमति मुस्लिम लीग को कड़वा सबक सिखाएगी.....शायद सरदार पटेल को आशा थी कि वे भारत में आने के बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा- “मैं मानता हूँ कि उनमें मुस्लिम लीग के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो गया था, मुस्लिम लीग को अनुसरण करने वाले मुसलमानों को कष्टों से उन्हें कोई दुःख नहीं होता है।”⁹

प्रमुख साम्प्रदायिक दंगे

समाज में राजनीतिक, आर्थिक संरचना में परिवर्तन आने पर सामाजिक व्यवस्था में उथल-पुथल होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। औपनिवेशिक व्यवस्था से पूर्व भारत में सामन्ती राजनीतिक, आर्थिक संरचना कार्य कर रही थी। आजादी के बाद भीषण नरसंहार हुए, लार्ड मार्ले का कथन अक्षरशः सत्य हो रहा था, पृथक निर्वाचन मण्डल के रूप में अंग्रेजों ने जो नाग के दांत बोये थे उनका फल अत्यन्त भीषण निकल रहा था। 1962 में दो बीड़ी निर्माताओं के बीच जबलपुर में हुए दंगे ने देश नीव तक हिला दी, यह दंगा दोनों व्यापारियों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ, हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों पक्ष के बीच धार्मिक उन्माद व्याप्त हो गया था। मस्जिद में लगे ट्रांसमीटर के जरिए पाकिस्तान जबलपुर के मुसलमानों से सम्पर्क स्थापित कर रहा था। स्वतन्त्र राष्ट्र का यह सबसे बड़ा प्रथम दंगा था जिसने देश के प्रमुख नेताओं को भी दहशत में डाल दिया था। जबलपुर दंगे को भड़काने में अफवाहों का बहुत बड़ा हाथ था। इस दंगे से मुसलमानों का धर्मनिरपेक्षता तथा सरकार से मोहभंग हो गया।



स्वतन्त्रता पूर्व भी कुछ ऐसे दंगे हुए थे जिनमें काफी जान-माल का नुकसान हुआ था। कानपुर मस्जिद की घटना कुछ इसी प्रकार की थी, जिससे पूरा दे"ा इस आग में जल उठा था। 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुए समझौते के बाद जब हिन्दू तथा मुस्लिम सद्भावना पूर्वक एक ही धारा में स्वतन्त्रता में आन्दोलन में सक्रिय थे, तभी 22 सितम्बर 1917 में आरा में हिन्दू तथा मुस्लिम में आपसी साम्प्रदायिक तनाव फैल गया जिसकी गति इतनी तेज थी की दो ही दिनों में कई वर्ग मील तक फैल गया। इसी प्रकार 1918 में उत्तर प्रदे"ा के सहारनपुर जिले के 'कतरपुर' में हिन्दू-मुस्लिम दंगा भड़क उठा।

भारत विभाजन

1947 में हुआ भारत विभाजन इस उपमहाद्वीप का मात्र भौगोलिक बंटवारा नहीं था बल्कि विभाजन के प"चात् बनने वाले दो नव स्वतन्त्र राष्ट्र के बीच हमे"ा के लिए पैदा करने वाली दु"मनी के 'ड्यन्त्र का भी परिचायक है। स्वतन्त्रता के पूर्व जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थीं उसका समाधान निकालना आसान नहीं था, तत्कालीन साम्प्रदायिक दंगों के कारण उत्पन्न भारी मात्रा में रक्तवर्षा की आ"ंका से बचने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं ने अविभाज्य भारत के विभाजन की अंग्रेजों की कुटिल चाल को स्वीकार कर लिया लेकिन विभाजन के बाद भी रक्तपात को रोक पाना मु"कल हो गया। विभाजन के समय हुए दंगों में लाखों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े तथा करोड़ों लोगों को सीमा पार करके जाना पड़ा, विभाजन भारत के इतिहास की दु:खद घटना है, अल्पसंख्यकों की समस्या का समुचित समाधान न कर पाना तत्कालीन भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का कमजोर पक्ष था। 30 दिसम्बर, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ने साम्प्रदायिक चेतना को हवा दी तथा द्विराष्ट्रवाद सिद्धान्त का नारा बुलन्द किया।

हालिया साम्प्रदायिक दंगे

अगर पिछले तीन वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों के फैलाव को देखें तो हम पायेंगे कि असम से गुजरात तक क"मीर से लेकर आन्ध्र-कर्नाटक तक सभी प्रान्त कम या ज्यादा दंगों की चपेट में आते रहे। अब केवल सूदूर दक्षिण के तमिलनाडु-केरल को ही किसी हद तक कम साम्प्रदायिक तनाव वाले प्रान्त कहा जा सकता है। पिछले दो वर्षों में हुये दंगों की सूची निम्नवत है-

1. वर्ष 2012 का पहला दंगा महाराष्ट्र के पचौरा इलाके में 22 मार्च को एक हिन्दू व मुस्लिम मछली विक्रेता के बीच झगड़े से हुआ। पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए ज्यादातर मुस्लिम नौजवानों को ही गिरफ्तार किया। दंगों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों की सम्पत्ति जलायी गयी।



2. 29 मार्च, 2012 को आंध्र प्रदेश के संगारडडी जिले में तब दंगे भड़क उठे जब कुछ मुस्लिम एक पुलिस स्टेशन के बाहर काबा की एक तस्वीर को बिगाड़ने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया पर कुछ ही समय में आर0एस0एस0 के सदस्यों ने एकत्र हो मुस्लिमों पर हमला बोल दिया। उनकी दुकानें लूटनी शुरू कर दी। पुलिस इस दौरान न केवल दंगे की मूकदर्शिका बनी रही और उसने खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों की सुरक्षा करने के बजाय उन्हें आत्म-रक्षा भी नहीं करने दी। लगभग दो करोड़ की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।
3. 8-12 अप्रैल, 2012 को हैदराबाद के संवेदनशील चारमीनार क्षेत्र में एक बार फिर दंगा भड़क उठा। यहां मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन व भाजपा, मुस्लिम व हिन्दू वोट बैंक मजबूत करने के लिए पूर्व में भी भिड़ते रहे हैं। इस बार दंगा एक मन्दिर की दीवार पर हरा रंग छिड़कने व यहां गाय की टांग के टुकड़े रखने की घटना से शुरू हुआ। इससे विरुद्ध हिन्दू भीड़ ने भाजपा के नेतृत्व में मुस्लिम दुकानों व घरों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इसके अगले कुछ दिनों में आस-पास के इलाके की 4 मस्जिदों को निर्गमना बनाया गया।
4. उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के सत्तासीन होते ही दंगों की शुरुआत हो गयी। मथुरा का कोसीकला इसका पहला गवाह बना। 2 जून को दंगा शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाज के वक्त बाहर रखे पीने के पानी में से एक हिन्दू द्वारा पानी लेने की घटना से शुरू हुआ। मुसलमानों ने इस पर आपत्ति की और शीघ्र ही दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गये जिसमें 4 लोग मारे गये।
5. गुजरात के बड़ौदा इलाके में 11 जून को दो समुदाय के लोगों के बीच एक छोटी सी सड़की दुर्घटना ने दंगे का रूप ले लिया और आमने-सामने पथराव शुरू हो गया। इसमें 6 पुलिस वाले और 15 नागरिक घायल हुए।
6. 14 जून को गुजरात के अमरौली, सौराष्ट्र में एक विवादित भूमि, जिस पर मन्दिर बनाया जा रहा था को लेकर दंगा शुरू हो गया। मुस्लिमों ने उस जगह को कब्रिस्तान बता उस पर अपना हक जताया। शीघ्र ही तनाव आमने-सामने की लड़ाई में बदल गया। 10 लोग घायल हुए व 4 दुकाने तबाह हो गयीं।
7. 24 जून को प्रतापगढ़ में दलितों व मुस्लिमों के बीच दंगा छिड़ गया। एक दलित लड़की से किसी ने बलात्कार कर दिया। दलितों ने मुस्लिमों को इसका दोषी ठहराते हुए उनके घरों में आग लगा दी। पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई।



8. 29 जून को महाराष्ट्र के बुल्दाना में एक दरगाह के बगल में पत्थर रखने के विवाद से शुरू हुए दंगे में एक मुस्लिम नवयुवक की जान चली गयी।
9. 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में हिन्दू-मुस्लिम मोटर साइकिल सवारों के टकरा जाने के बाद उत्पन्न हुए विवाद ने दंगे को रूप ले लिया। हिन्दुओं ने मुस्लिमों के मोहल्ले पर हमला बोल दिया। मुस्लिमों द्वारा की गयी फायरिंग में एक हिन्दू युवक की मौत के बाद और बड़े पैमाने पर मुस्लिमों पर हमला बोल करों की सम्पत्ति का नुकसान कर दिया गया।
10. 19 जुलाई को ही असम में बोडो व मुस्लिमों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह गुजरात दंगे के बाद का सबसे बड़ा था। जिसमें करीब 100 लोग मारे गये व 4.5 लाख विस्थापित हुए।
11. 24 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ियों के मुस्लिम इलाके में जाने के चलते दंगे भड़क उठे। यहां 2 वर्ष पूर्व भी दंगे भड़क उठे थे। जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ।
12. 15 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भड़के दंगों में पुलिस फायरिंग में 7 मुस्लिम नौजवान मारे गये। कुरान के कुछ पन्ने फाड़ रेलवे ट्रैक पर फेंक देने से गुस्सायी मुस्लिम भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और पुलिस ने उन पर गोलियां बरसा दीं।
13. अक्टूबर माह में गणेश पूजा के अवसर पर महाराष्ट्र के कई इलाकों में दंगे भड़काने के प्रयास हुए। अंकोट में भड़के दंगे में 4 लोग मारे गये व घरों व दुकानों का भारी नुकसान हुआ। ज्यादातर नुकसान मुस्लिम समुदाय का हुआ।
14. 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में दंगे भड़क उठे। दंगे दुर्गा की मूर्ति की एक बांह टूटने के विवाद पर शुरू हुए। पूरे फैजाबाद में दोनों समुदाय के लोगों पर हमले बोले जाते रहे और पुलिस हिन्दू भीड़ की समर्थक बनी रही।

साम्प्रदायिक, दंगे और महिलाओं की भूमिका

साम्प्रदायिकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं से सम्बद्ध है। साम्प्रदायिक दंगे महिलाओं के लिए भयावह बन कर आते हैं। वे दंगों से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि दंगा उनके लिए शारीरिक एवं मानसिक यातना बनकर आता है और दीर्घकालिक यंत्रणादायी होता है। दंगों में जान-माल की हानि तो होती ही है, स्त्रियों के संदर्भ में यह यौन-दुराचार, छेड़खानी और बलात्कारयुक्त भी होता है। यौन हिंसा इस कदर भयावह होती है कि इसके परिणाम पीढ़ियों तक भुगतने होते हैं। वृदा करात लिखती हैं "साम्प्रदायिक हिंसा में सबसे आसान शिकार महिलाएं ही होती हैं। किसी भी समुदाय में महिलाएं दोगुने दर्जे की स्थिति में होती हैं, एक गौण नागरिक होती हैं और समुदाय विशेष की



‘मिल्कियत’ होती हैं। उन्हें ‘इज्जत’ और ‘सतीत्व’ और ‘‘ुचिता’ के साथ जोड़कर देख जाता है। यदि किसी समुदाय का वर्चस्व कायम करना होता है तो इसी पर सबसे पहले हमला किया जाता है।’’

ऐसी स्थिति में, यह अध्ययन दिलचस्प और रंगरेखे खड़े कर देने वाला हो सकता है कि स्त्रियों की भूमिका दंगों में किस प्रकार बदल रही है। स्त्री-संज्ञाकरण और स्त्री-विमर्श ने उनमें क्या परिवर्तन किए हैं। दरअसल दंगों में स्त्रियां या तो पीड़ित होती थीं या उनकी भूमिका सहानुभूति प्रकट करने वाली, बचाव दल की सदस्या अथवा निन्दक की रहती आई थी, किन्तु उदारीकरण के बाद अथवा यों कहे कि सन् 1992 के बाबरी मस्जिद प्रकरण एवं राममंदिर आन्दोलन के बाद उनकी इस भूमिका में बुनियादी परिवर्तन आया है। यद्यपि स्त्रियां भी साम्प्रदायिक भाव से अछूती नहीं रही हैं और विपक्षी सम्प्रदाय के प्रति दुर्भावना उनके मन में रही है लेकिन अंततः दद्र और बेबसी ही उनके हिस्से आता रहा है। यूपाल के उपन्यास ‘झूठा-सच की बंती सोचती है ‘सब जुल्म के लिए हम स्त्रियां ही रह गई हैं। मर्द मर्दों को काटकर टुकड़े भले ही कर दें, उनकी बेइज्जती तो नहीं करते।’’

निष्कर्ष

उपरोक्त आधार पर यह निष्कर्ष निकलाना गलत न होगा कि सिर्फ दंगों का चरित्र बदला है अपितु उससे प्रभावित होने वाली महिलाओं के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। दंगों में अब भी महिलाओं के साथ यौन हिंसा होती है लेकिन उन्होंने प्रतिरोध करना सीख लिया है और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को जगजाहिर कर दंगाईयों को बेनकाब करने की हर संभव कोशिश की है। वे ‘देह’ की परम्परागत अवधारणा से मुक्त हो रही हैं। इस तरह शोषण के एक बहुत बड़ अस्त्र को निष्फल बना रही हैं। इसके साथ ही वे दंगों में सक्रिय भूमिका अदा करने लगी हैं, राजनीतिक मंचों से आह्वान कर रही हैं। वे लूटपाट करने लगी हैं और पुरुष दंगाईयों का सहयोग कर रही हैं। वे स्वयं के संज्ञाकरण के लिए बाधा बन रही हैं और अंततः पुरुष सत्ता के हाथों कठपुतली का सा व्यवहार कर रही हैं। नारी संज्ञाकरण के दोनों प्रतिरूप दंगों के विलेषण में देखे जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सुधीर दलवी, ‘धर्म और राजनीति का घालमेल’, हिन्दी वेब दुनिया, कॉम/आर्टिकल/रिलिजअस आर्टिकल।
2. गीतांजलि श्री, ‘हमारा शहर उस बरस’, पृष्ठ 10
3. रामधारी सिंह दिनकर, ‘साहित्य मुखी’, पृष्ठ 27
4. नेमिचन्द्र जैन, ‘अधूरे साक्षात्कार’, पृष्ठ 151-160



5. पूभारतीय राजनीति में सम्प्रदायणवउ
6. पीअण्वतकचतमेणवउध2008ध09ध16
7. हिन्दी शब्द सागर, दसवां भाग।
8. विपिनचंद्र, 'आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता', पृष्ठ 1
9. गोपीनाथ कालभोर, 'धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता', पृष्ठ 170
10. गीतांजलि श्री, 'हमारा शहर उस बरस', पृष्ठ 121
11. |दंतपए |ण्डण ;2003द्धए शडीपसं |नत डंदंअंकीपांत"ए श्रलवजप च्णइसपबंजपवदए श्रंपचनतण
12. च्त्कं ठमदपए ;1931द्धए श्मपदकनेजंद ज्ञप च्णतंदप"ईलंज"ए डवजप संस ठंदंतेंप वें च्त्तींदए टंतंदेंपण
13. |सजमांतए |णैण ;1947द्धए श्मपदकन"ईलंजं डमपद"जतपलवद ज्ञप"जीपजप"ए डवजप संस ठंदंतेंप वें च्त्तींदए टंतंदेंपण
14. च्दपांत ज्ञण्डण ;1950द्धए श्मपदकन"वबपमजल ज ब्त्वे त्वंकए फनवजमक इल डंरनउकंतए क्ण्ण त्वमे दक ब्णसजनतम पद प्दकप"ए |पं च्णइसपौपदह भ्वनेमए छमू कमसीपण
15. त्दरंद ज्ञनउनकए ;1993द्धए श्वउमद दक डवकमतद ब्बनंचजपवद पद प्दकप"ए बिनही च्णइसपौपदहए |ससींइंकण
16. श्रवौपए च्णबण ;1985द्धए श्वउउनदपबंजपवद दक छंजपवद ठनपसकपदह डंपदेजतमंउ"ए टवसण ग्ण्टए प् दक 12 छवअण च्चण 42.50
17. ळपससए त्पदंए ;1986द्धए श्मसपअपेपवद वी बपसकतमद"ए पद "वबपंस बंदहमए टवसण 16;1द्धण
18. ठंसंनइतीउंदलंउए टण ;1985द्धए ळतवजमेुनम ज्ण्टण थ्मंजनतम |पउमक ज श्वउमद डंपदेजतमंउ"ए टवसण ग्ण्ट ;9.10द्धए छवअण 2ए च्चण 14.28ण
19. आनन्द, 'भारत में नवउदारवाद की चौथाई सदी: पृष्ठभूमि और प्रभाव'।
20. मसानी, मीनू, (1983), 'उदारवाद, राष्ट्रवाद, यथार्थवाद, नवउदारवार, अनेकवाद, फ्रीडम फर्स्ट'।